न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – /2023

अनवान : –

1. केसरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादी

2. मानसिंह पि0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. बलवीर सिंह पि0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. चावली पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. प्रेम पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट भूमि, खसरा न0 282 की 5.1870 कुल 10.5250 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक राधा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

राधा का देहान्त हो चुका है। राधा के प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नही है। रामसिंह के भाई भैरूसिंह के लड़के व लड़किया यानि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 छहो रामसिंह व उसकी पत्नी राधा के नजदीकी वारिस हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस है तथा मृतक राधा पत्नी रामसिंह की जगह खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खुईया तहसील नोहर मृतक राधा पत्नी रामसिंह के नाम दर्ज है। राधा पत्नी रामसिंह की जाति उक्त वाद भूमि मे दरोगा दर्ज है जबकि राधा पत्नी रामसिंह की जाति राजपुत है। अतः वाद भूमि में राधा पत्नी रामसिंह की जाति दरोगा दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय कि की गई कि राधा पत्नी रामसिंह की जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत किया जाना उचित है। वादी द्वारा जाति राजपूत के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के पुत्र का जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें जाति राजपुत अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राधा पत्नी रामसिंह के नाम दर्ज है। राधा का देहान्त हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राधा के प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नही है। रामसिंह के भाई भैरूसिंह के लड़के व लड़किया यानि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 छहो रामसिंह व उसकी पत्नी राधा के नजदीकी वारिस हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस है तथा मृतक राधा पत्नी रामसिंह की जगह खातेदार काश्तकार है। राधा पत्नी रामसिंह की जाति उक्त वाद भूमि मे दरोगा दर्ज है जबकि राधा पत्नी रामसिंह की जाति राजपुत है। अतः वाद भूमि में राधा पत्नी रामसिंह की जाति दरोगा दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट भूमि, खसरा न0 282 की 5.1870 कुल 10.5250 हैक्ट भूमि राधा पत्नी रामसिंह के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि राधा का देहान्त हो चुका है। राधा के प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नही है। रामसिंह के भाई भैरूसिंह के लड़के व लड़किया यानि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 छहो रामसिंह व उसकी पत्नी राधा के नजदीकी वारिस हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस है तथा मृतक राधा पत्नी रामसिंह की जगह खातेदार काश्तकार है। राधा पत्नी रामसिंह की जाति उक्त वाद भूमि मे दरोगा दर्ज है जबकि राधा पत्नी रामसिंह की जाति राजपुत है। अतः वाद भूमि में राधा पत्नी रामसिंह की जाति दरोगा दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में वादी के पुत्र की जाति राजपुत दर्ज है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी नाम संशोधन हेतु आंशिक स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट भूमि, खसरा न0 282 की 5.1870 कुल 10.5250 हैक्ट भूमि में **राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह की जाति दरोगा के स्थान पर राजपुत के अंकन की घोषणा की जाती है।** वादी अपने अधिकारों की घोषणा हेतु पृथक से दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर [illegible] की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – /2023
अनवान : –

1. केसरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादी

2. मानसिंह पि0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. बलवीर सिंह पि0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. चावली पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. प्रेम पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 250 सन 2028 निर्णय दिनांक – 29/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी नाम संशोधन की हद तक आशिक स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट भूमि, खसरा न0 282 की 5.1870 कुल 10.5250 हैक्ट भूमि में **राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह की जाति दरोगा के स्थान पर राजपुत के अंकन की घोषणा की जाती है।** वादी अपने अधिकारों की घोषणा हेतु पृथक से दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/24 को में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested